न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—286/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/286)

1. नौरतमल पुत्र भैरूलाल माली, जाति माली, निवासी खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. देबीलाल पुत्र श्योनाथ खटीक (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 अमरचंद पुत्र
   1/2 सम्पत्ति देवी पत्नि
   1/3 बसंती पुत्री
   समस्त निवासी खरवा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. लालचंद पुत्र छोटू खटीक
3. रमेश पुत्र छोटू खटीक
4. संतरा पुत्री छोटू खटीक
5. सीता पुत्री छोटू खटीक
6. श्रीमती बरजी देवी पत्नि छोटू खटीक
   समस्त निवासी खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 राजस्व वाद संख्या 06/2017 (2017/00004)

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 29.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 (2017/00004) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4417/1445 किस्म तालाबी वाकै ग्राम खरवा, तहसील मसूदा अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है, जिसकी सटती हुई आराजीयात खसरा संख्या 1557 राजकीय सिवायचक किस्म मोरी आराजीयात है, रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वयं की खसरा संख्या 1551 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर में आवागमन हेतु उक्त अपीलांट की आराजीयात से रास्ता

आवागमन हेतु दिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 21.9.2022 को स्वीकार किए जाने बाबत पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 (2017/00004) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4417/1445 किस्म तालाबी वाकै ग्राम खरवा, तहसील मसूदा अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है, जिसकी सटती हुई आराजीयात खसरा संख्या 1557 राजकीय सिवायचक किस्म मोरी आराजीयात है, रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वयं की खसरा संख्या 1551 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम खरवा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर में आवागमन हेतु उक्त अपीलांट की आराजीयात से रास्ता आवागमन हेतु दिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया कि आराजीयात खसरा संख्या 4417/1445 के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है, जिस बाबत नियमानुसार सरकारी दर से राशि अदा करने हेतु तैयार है अतः आवागमन हेतु रास्ता दिलाया जावे। उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा कथन किया कि आराजीयात खसरा संख्या 4417/1445 में आवागमन हेतु रास्ता नहीं है। बल्कि रेस्पोडेन्ट का रास्ता अन्य भूमि 1554, 1553, 1555 में पूर्व से निकला हुआ है, जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में जानबूझकर नहीं किया गया है। प्रकरण संख्या 28/16 उनवान दुर्गासिंह व यशपाल में तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट में खसरा संख्या 1553, 1554, 1555 में से होकर रास्ता बताया गया है, क्योंकि खसरा संख्या 1556 तक पूर्व से रास्ता मोजूद है। अतः खसरा संख्या 1445 में से रास्ता लेने का औचित्य नहीं हैं। पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 6.4.2018 को रास्ता प्रदान किया जा चुका है। वैकल्पिक मार्ग के अभाव में ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार मसूदा से रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को खसरा संख्या 1556 रकबा 1.1245 हैक्टर खातेदार कमला वगैरह पिसरान अमरसिंह तथा अन्य में से रास्ता दिया जाए तो इसमे खातेदारी खसरा संख्या 1556 की 0.0210 हैक्टर भूमि प्रभावित होगी जिससे वह सिवायचक रास्ता 4589/1554 तक पहुंच सके। रास्ता खसरा संख्या मुख्य मार्ग खरवा से भवानीपुरा तक जुडा हुआ है। इसके विपरीत खसरा संख्या 1557 व 4417/1445 में से रास्ता दिया जाता है, तो 0.0324 हैक्टर लम्बाई रहेगी। जिससे

स्पष्ट है कि वांछित रास्ता अधिक दूरी का है जिसके बजाय वैकल्पिक मार्ग जो कि कम दूरी का है व मौके पर चालू है, में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में प्रेषित मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलांट की खातेदारी की आराजी 4417/1445 में से 232 x 15 फीट करीब 0.0324 हैक्टर रास्ते हेतु अंकित किए जाने हेतु पारित किए गए है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाये जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। उक्त बाबत धारा–251–ए में प्रावधित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी गैर मुमकिन मोरी की आराजीयात जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात से सटती हुई खसरा संख्या 1557 राजकीय सिवायचक आराजीयात रही है, जिस पर बरसात एवं नहर का पानी भरा रहता है, जो कि अपीलांट व अन्य खातेदारान की खातेदारी की आराजीयात को सिंचाई करने हेतु उपयोग मे लाया जाता है। उक्त आराजीयात पर होकर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए है, जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। अतः उक्त आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिये दिया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। इसके बावजूद धारा–251–ए की मंशा के विपरीत उक्त गैर मुमकिन मोरी की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रथमतः राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं० 1557 रकबा 0.56 हैक्टर गैर मुमकिन मोरी के रूप में अंकन की हुई है जो कि किसी भी रूप में रास्ते के लिये आरक्षित नहीं की जा सकती है, ना ही रास्ते के आवागमन हेतु उपरोक्त आराजीयात को 251–ए के तहत राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जा सकता है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त संदर्भ में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 में खसरा संख्या 1556 तथा अन्य में से रास्ता दिए जाने पर मात्र 0.0210 हैक्टर भूमि प्रभावित होने बाबत अंकन किया है, उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित होते हुए भी आक्षेपित निर्णय में मौका रिपोर्ट में दीगर कोई रास्ता दर्शित नहीं किया है, वर्णित करते हुए आक्षेपित निर्णय से खसरा संख्या 1557 व 4417/1445 में से स्थित खसरा संख्या 1557 गै.मु. मोरी पर से रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। आज्ञात्मक प्रावधानों को दरकिनार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन मोरी राजकीय सिवायचक की आराजीयात में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने बाबत निर्णय पारित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। द्वितीयतः उपरोक्त आराजीयात खसरा सं० 1557 गै.मु. मोरी जिससे अपीलांट व अन्य खातेदारान की खातेदारी की आराजीयात को सिचिंत किया जाता है, से रास्ता अंकन किए जाने के आदेश दिए गए है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा आराजीयात सं० 1551 मे आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं होना मानते हुए स्वंय के द्वारा मंगाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 के विपरीत अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को सिंचित करने हेतु निर्मित मोरी पर वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए गए है, अपीलांट खातेदार को बिना सुनवाई का

अवसर प्रदान किये प्रेषित रिपोर्ट के विपरीत निर्णय से उपरोक्त आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है। आराजीयात खसरा सं0 4417/1445 के पूर्वी तरफ खसरा संख्या 1557 गैर मुमकिन मोरी एवं उसके आगे खसरा संख्या 4454/1551 व 4453/1551 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात स्थित है। उक्त आराजीयात में खसरा संख्या 1554, 1553, 1555 से होकर रास्ता मौके पर दिया जा सकता है। उक्त गैर मुमकिन मोरी के मध्य से रास्ता खसरा संख्या 1551 में दिया जाता है. तो अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को सिचिंत करने हेतु निर्मित मोरी नष्ट हो जावेगी। द्वितीयतः मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 के अनुसार खसरा संख्या 1556 के उत्तर दिशा की ओर रास्ता प्रस्तावित बताया है, जो कम दूरी का रास्ता है व उक्त रास्ता सिवायचक रास्ता खसरा संख्या 4589/1554 तक जाकर मुख्य सडक मार्ग ग्राम खरवा से भवानीपुरा तक जुडा हुआ है। उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित है। जिससे रास्ता स्वीकृत किए जाने में अन्य खातेदारान भी लाभान्वित होगें। किन्तु रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुये खसरा सं0 4417/1445 व खसरा संख्या 1557 गैर मुमकिन मोरी की आराजीयात से स्वयं की आराजीयात में आवागमन हेतु रास्ते की उपयोगिता को वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसे आक्षेपित निर्णय से उक्त गैर मुमकिन मोरी की आराजीयात में ही स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 में भी उक्त संदर्भ में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि खसरा सं० 1551 मे आवागमन हेतु दो रास्ते मौके पर स्थित है। मौके पर उक्त आराजीयात खसरा सं० 1557 गैर मुमकिन मोरी के रूप में स्थित है. वैकल्पिक मार्ग के होते हुए अपीलांट की खातेदारी की सिंचाई हेतु निर्मित गैर मुमकिन मोरी की आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जो वो ठीक समझे करने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है, और (2) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीज जहां मौके पर पूर्व से ही खसरा सं0 1554, 1553, 1555 के पश्चिम में वैकल्पिक मार्ग आवागमन हेतु स्थित है। वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त भी गैर मुमकिन मोरी की आराजीयात में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे आक्षेपित आदेश से स्वीकार किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजीयात को सिचिंत किए जाने हेतु स्थित गै.मु. मोरी की आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश खसरा संख्या 1554, 1553, 1555 की आराजीयात में पश्चिम सीमा में वैकल्पिक रास्ते के स्थित होते हुए भी रास्ता स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट का विवेचन आक्षेपित निर्णय में किए जाने

के उपरान्त भी कम दूरी का मार्ग मौके पर स्थित होने के बावजूद अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात व राजकीय सिवायचक गै.मु. मोरी की आराजीयात जो कि सिंचाई हेतु पानी से भरी हुई है, में से रास्ता स्वीकृत किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं० 1557 गैर मुमकिन मोरी जिस पर अपीलान्ट व अन्य खातेदारान द्वारा अपने खातेदारी की आराजी को सिंचित कराया जाता है, आक्षेपित निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट सं० 1 द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की सिंचाई सुविधा हेतु निर्मित राजकीय सिवायचक गै.मु मोरी को तोड़कर मध्य से रास्ता स्वीकृत कराया जाकर स्वयं के लाभ हेतु निर्णय की पालना करायी जा रही है, जिससे अपीलान्ट के हक एवं अधिकार प्रभावित होते है। आक्षेपित निर्णय बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए, बिना अपीलांट की आपत्ति का अवसर दिए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं के हक एवं अधिकारों के रक्षार्थ अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए का जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा स्पष्टतया न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 28.2.2016 दुर्गासिंह बनाम यशपाल में रास्ता स्वीकृत किए जाने से आराजीयात खसरा संख्या 1556 तक पूर्व में जहां स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य खातेदारान की आराजीयात खसरा संख्या 1553, 1554, 1555 में से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए हुए है व उक्त पालना में मौके पर रास्ता चालू कर राजस्व नक्शे में रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। खसरा संख्या 1556 से वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का मौके पर स्थित है, जो कि खसरा संख्या 1551 की आराजीयात तक सुगम रास्ता है, उक्त बाबत आक्षेपित निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकन किए जाने के उपरान्त भी बिना किसी आधार के अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात से प्रेषित तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए गए है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 (2017/00004) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि मौजा खरवा पटवार हल्का खरवा प्रथम तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 1551 रकबा 02–12–10 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता सदियो से खसरा नंबर 4417/1445 से रहा है, तथा इसी में से अपने बैल, गाय, भैंस बकरी आदि को ले जाने व लाने में उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नंबर 4417/1445 के खातेदार होने की हैसियत से अपनी भूमियों के चार दीवारी कर प्रार्थीगण का रास्ता रोकने का प्रयास किया तथा प्रार्थीगण के रास्ते में पत्थर डलवाना शुरू कर दिया। प्रार्थीगण की आराजी तक आने जाने के लिये खसरा नंबर 4417/1445 के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नही है। प्रार्थीगण अपने रास्ते की भूमि बाबत अप्रार्थी को नियमानुसार सरकारी दर से राशि अदा करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये खसरा नंबर 4417/1445 की भूमि में से रास्ता दिलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए दिनांक 21.09.2022 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 का अवलोकन किए जाने से यह तथ्य स्पष्ट प्रतीत होते हैं कि उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में बनाई गई है। जिसमें प्रकरण से संबंधित पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई0एल0आर0 के द्वारा बनाई जानी चाहिए परंतु उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जो कि राजस्व मण्डल के सरकारी नियम 69 की पालना किए बिना बनाई गई है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट को विधिसंगत नहीं माना जा सकता है। चूंकि उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की जाकर तहसीलदार, मसूदा को प्रेषित की गई जिसके आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।

प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1551 रकबा 2–12–00 में जाने के लिए पटवारी हल्का द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में दो मार्ग प्रस्तावित किए गए जो क्रमशः ए व बी है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1556 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.0210 है0 भूमि रास्ते के रूप में प्रयोग की जाएगी तथा खसरा नम्बर 1557 व 4417/1445 में से 0.0324 है0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग होगी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट में यह विचार नहीं किया गया कि यदि खसरा नम्बर 1556 से रास्ता दिया जाता है तो रास्ता लघुत्तम होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रावधित सिद्धांतों के विपरीत जाकर दीर्घतम रास्ता दिया गया जो कि खसरा नम्बर 1557 व 4417/1445 में से प्रस्तावित किया गया है, लेकिन उक्त रास्ता दिए जाने की स्पष्ट विवेचना नहीं की है।

उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य प्रकरण दुर्गासिंह बनाम यशपाल जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2016 को निस्तारित किया जा चुका है जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य खातेदारान की आराजीयात खसरा नम्बर 1553, 1554, 1555 में से रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किए हुए है। इस बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में ना ही मौका रिपोर्ट में इसका कोई अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 1553, 1554, 1555 में से वर्तमान में रास्ता चालू है

या नहीं उनके द्वारा अपने निर्णय में इसका कहीं कोई अंकन नहीं किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687:– RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- *Section 251A Rajasthan Tenancy Act and (government) Rules 1955. Rule 69- Order regarding way passed without Comliance of mandatory provision of rule 69 is not maintainable.*

उक्त प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है, उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई0एल0आर द्वारा तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उक्त प्रकरण पर न्यायिक दृष्टांत 2017 आर0बी0जे0 पेज 687 पूर्णरूप से चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 (2017/00004) में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार या आई0एल0आर द्वारा तैयार की जाकर सुस्पष्ट मौका रिपोर्ट जिसमें मौके की वास्तविक स्थिति दर्शाते हुए उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसारण करते हुए व खसरा नम्बर 1553, 1554, 1555 में वर्तमान में रास्ता चालू है या नहीं इस बिंदु का विश्लेषण करते हुए जो रास्ता दिया जाता है उसकी तर्क संगत विवेचना करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष दिनांक 14.08.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर